न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईलास श्री कमल कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 32 / 18 दावा निर्णय दिनांक 13/2/19

बउनवान

1. पवन पुत्र नरोत्तम उम्र 25 वर्ष जाति धाकड।
2. कलावतीबाई उम्र 52 वर्ष पत्नी नरोत्तम जाति धाकड निवासी रूपाहेडा तहसील कनवास।

वादीगण

बनाम

1. नरोत्तम पुत्र सुक्खा।
2. दिनेश पुत्र नरोत्तम।
3. शिमला पुत्री नरोत्तम पत्नी सत्यनारायण जातियान धाकड निवासी रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।

प्रतिवादीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से एडवोकेट अशोक कुमार जैन।
प्रतिवादीगण 01 लगायात 3 की ओर से एडवोकेट संजय सिंह।
प्रतिवादी क्रम 04 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रूपाहेडा पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नबंर 196 की 1.52 है0, खसरा नबंर 199 की 0.01 है0, खसरा नबंर 200 / 810 की 0.28 है0, खसरा नबंर 274 की 0.96 है0, खसरा नबंर 312 की 1.27 है0, खसरा नबंर 352 की 1.60 है0, खसरा नबंर 449 की 1.62 है0, खसरा नबंर 534 की 1.13 है0, खसरा नबंर 621 की 0.46 है0, कुल खसरा किता 09 की रकबा 8.85 है0, कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में वादीक्रम 01 के दादा श्री सुक्खा पुत्र गजानंद जाति धाकड निवासी रूपाहेडा के नाम से दर्ज रही है, श्री सुक्खा का स्वर्गवास सन् 2004 के लगभग हो चुका है, जिनके स्वर्गवास के उपरान्त उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में उनके पुत्र प्रतिवादी नबंर 01 के नाम दर्ज हुई। उक्त कृषि भूमियॉ पैतृक कृषि भूमियॉ है। जिनमें वादी क्रम 01 व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 03 का जन्म से तथा वादी नबंर 02 का का प्रतिवादी नबंर 01 की पत्नी होने से अधिकार हैं उक्त कृषि भूमियों में वादीक्रम 01 व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 03 का सहदायिक होने से तथा वादीक्रम 02 का प्रतिवादी क्रम 01 की पत्नी होने से प्रत्येक इन्च भूमि में हक व हिस्सा है। वादीगण उक्त पैतृक कृषि भूमि में अपने हक व हिस्से अनुसार भांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है, वादीगण का वं ा वृक्ष निम्न प्रकार है:–

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिलाकोटा(राज०)

स्व0 सुक्खा

↓

नरोत्तम

↓

दिनेश पुत्र	पवन पुत्र	शिमला	कलावतीबाई पत्नी

यह कि वादीगण की जानकारी में आया है कि प्रतिवादी क्रम 01 राजस्व में नाम मात्र दर्ज होने का फायदा उठाने की नियत से उक्त कृषि भूमियों को गुपचुप तरीके से हस्तान्तरण करने पर आमदा है, जिसका कि प्रतिवादी क्रम 01 का कोई अधिकार नंही है, क्योंकि उक्त कृषि भूमियां पैतृक कृषि भूमियां रही है, जिनमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 03 का प्रतिवादी क्रम 01 के साथ हक व हिस्सा है। प्रतिवादी क्रम 01 अपने कृत्य से वादीक्रम 01 व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 03 जो कि प्रतिवादी क्रम 01 के क्रमशः पुत्र व पुत्रियां है, तथा वादीक्रम 02 जो कि प्रतिवादी नबंर 01 की पत्नी है, को उनके हक एवं हिस्से से महरूम करने को तत्पर है, जिसको रोकने के लिये माननीय न्यायालय की भारण में आने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नंही रहा है, प्रतिवादी नबंर 01 द्वारा किये जा रहे गुपचुप प्रयासों से वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है, कि वे प्रतिवादी क्रम 01 के साथ उक्त कषि भूमियों में अपना नाम भी राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करवा लेवे। इसलिए वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है, कि प्रतिवादीगण के विरूद्व खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा की सहायताएं चाहने के लिये वाद प्रस्तुत करें यही इस वाद की विषय वस्तु है।

वादीगण द्वारा पुनः वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 व 03 को ग्राम रूपाहेडा पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नबंर 196 की 1.52 है0, खसरा नबंर 199 की 0.01 है0, खसरा नबंर 200/810 की 0.28 है0, खसरा नबंर 274 की 0.96 है0, खसरा नबंर 312 की 1.27 है0, खसरा नबंर 352 की 1.60 है0, खसरा नबंर 449 की 1.62 है0, खसरा नबंर 534 की 1.13 है0, खसरा नबंर 621 की 0.46 है0, कुल खसरा किता 09 की रकबा 8.85 है0, कृशि भूमि में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जावे , उक्त घोषणा के अनुक्रम में प्रतिवादी नबंर 01 के साथ वादीगण व प्रतिवादी नबंर 02 लगायत 03 का नाम खाते में दर्ज करते हुये राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती किये जाने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें। साथ प्रतिवादी नबंर 01 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि वह ग्राम रूपाहेडा पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नबंर 196 की 1.52 है0, खसरा नबंर 199 की 0.01 है0, खसरा नबंर 200/810 की 0.28 है0, खसरा नबंर 274 की 0.96 है0, खसरा नबंर 312 की 1.27 है0, खसरा नबंर 352 की 1.60 है0, खसरा नबंर 449 की 1.62 है0, खसरा नबंर 534 की 1.13 है0, खसरा नबंर 621 की 0.46 है0, कुल खसरा किता 09 की रकबा 8.85 है0, कृषि भूमि को राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर उक्त कृषि भूमियों को किसी प्रकार से हस्तानान्तरण आदि करने का प्रयास नंही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादीगण क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा दिनांक 16.08.2018 को जर्ये एडवोकेट उपस्थित दी। साथ ही जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित मद नबंर 01 लगायत 06 को स्वीकर कर, निवेदन किया कि मुताबिक वाद पत्र वादीगण व प्रतिवादीक्रम 02 लगायत 03 को ग्राम रूपाहेडा पटवार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा (राज0)

हल्का झालरी तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नबंर 196 की 1.52 है0, खसरा नबंर 199 की 0.01 है0, खसरा नबंर 200/810 की 0.28 है0, खसरा नबंर 274 की 0.96 है0, खसरा नबंर 312 की 1.27 है0, खसरा नबंर 352 की 1.60 है0, खसरा नबंर 449 की 1.62 है0, खसरा नबंर 534 की 1.13 है0, खसरा नबंर 621 की 0.46 है0, कुल खसरा किता 09 की रकबा 8.85 है0, कृशि भूमि में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जाने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नंही है। साथ ही तहसीलदार कनवास द्वारा भी जवाब सरकार प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के आपसी बंटवारे से कोई राजहित प्रभावित नंही है।

हमारे द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों संलग्न दस्तावेज, जवाब प्रतिवादी 01 लगायत 3 एवं जवाब सरकार का गहनता पूर्वक अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 व 03 को ग्राम रूपाहेडा पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नबंर 196 की 1.52 है0, खसरा नबंर 199 की 0.01 है0, खसरा नबंर 200/810 की 0.28 है0, खसरा नबंर 274 की 0.96 है0, खसरा नबंर 312 की 1.27 है0, खसरा नबंर 352 की 1.60 है0, खसरा नबंर 449 की 1.62 है0, खसरा नबंर 534 की 1.13 है0, खसरा नबंर 621 की 0.46 है0, कुल खसरा किता 09 की रकबा 8.85 है0, कृषि भूमि में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित जाना उचित समझते है, साथ ही उक्त घोषणा के अनुक्रम में प्रतिवादी नबंर 01 के साथ वादीगण व प्रतिवादी नबंर 02 लगायत 03 का नाम खाते में दर्ज करते हुये राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी वाद पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 व 03 को ग्राम रूपाहेडा पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नबंर 196 की 1.52 है0, खसरा नबंर 199 की 0.01 है0, खसरा नबंर 200/810 की 0.28 है0, खसरा नबंर 274 की 0.96 है0, खसरा नबंर 312 की 1.27 है0, खसरा नबंर 352 की 1.60 है0, खसरा नबंर 449 की 1.62 है0, खसरा नबंर 534 की 1.13 है0, खसरा नबंर 621 की 0.46 है0, कुल खसरा किता 09 की रकबा 8.85 है0, कृषि भूमि पर प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं उक्त घोषणा के अनुक्रम में प्रतिवादी नबंर 01 के साथ वादीगण व प्रतिवादी नबंर 02 लगायत 03 का नाम खाते में दर्ज करते हुये राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त खाते में रहन यथावत रहेगा। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/2/15 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज०)

कमल कुमार मीना
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure vode, appendix"d"I')
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईलास श्री कमल कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 32/18 दावा निर्णय दिनांक

बउनवान

1. पवन पुत्र नरोत्तम उम्र 25 वर्ष जाति धाकड।
2. कलावतीबाई उम्र 52 वर्ष पत्नी नरोत्तम जाति धाकड निवासी रूपाहेडा तहसील कनवास।

वादीगण

बनाम

1. नरोत्तम पुत्र सुक्खा।
2. दिनेश पुत्र नरोत्तम।
3. शिमला पुत्री नरोत्तम पत्नी सत्यनारायण जातियान धाकड निवासी रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।

प्रतिवादीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

दावा वास्ते अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नबंर 32/18 निर्णय दिनांक .... सन् 2018
यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 की ओर से एडवोकेट श्री संजय सिंह तथा प्रतिवादी क्रम 04 पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वंय उपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि प्रतिवादी क्रम 02 व 03 को ग्राम रूपाहेडा पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नबंर 196 की 1.52 है0, खसरा नबंर 199 की 0.01 है0, खसरा नबंर 200/810 की 0.28 है0, खसरा नबंर 274 की 0.96 है0, खसरा नबंर 312 की 1.27 है0, खसरा नबंर 352 की 1.60 है0, खसरा नबंर 449 की 1.62 है0, खसरा नबंर 534 की 1.13 है0, खसरा नबंर 621 की 0.46 है0, कुल खसरा किता 09 की रकबा 8.85 है0, कृषि भूमि पर प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं उक्त घोषणा के अनुक्रम में प्रतिवादी नबंर 01 के साथ वादीगण व प्रतिवादी नबंर 02 लगायत 03 का नाम खाते में दर्ज करते हुये राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त खाते में रहन यथावत रहेगा। तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ....x....मुबलिग ....x....बाबत ....x.... खर्चा इस मुकदमे का मय सूद व शरह ....x....फसीदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....x..... को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 2 सन् 19 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा (राज0)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	-		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	-		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीश कमीशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
.बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुरफर्रिक			मीजान		
मीजान					

कमल कुमार मीना
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास